सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

(2022-23)

118

सत्रहवीं लोक सभा

एक सौ अट्ठारवां प्रतिवेदन

[शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब]

(03.04.2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च 2023/ चैत्र 1945(शक)

विषय सूची

	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23) की संरचना	(iii)
प्राक्कथन	(iv)
प्रतिवेदन	
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब	1

परिशिष्ट

परिशिष्ट- एक	राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली को वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान वर्षवार प्रदत्त अनुदान	11
परिशिष्ट - दो	राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 से 2020-21 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की तिथियों को दर्शाने वाला विवरण।	12
परिशिष्ट- तीन	राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 से 2020-21 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने से संबंधित कालक्रमानुसार विवरण।	13
परिशिष्ट- चार	समिति की 13 दिसंबर, 2022 को हुई बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण	21
परिशिष्ट- पांच	सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-2023) की 29.03.2023 को हुई चौथी बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण।	24

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की संरचना

(2023-23)

श्री गिरीश चन्द्र - सभापति

सदस्य

2. श्री शफीकुर्रहमान बर्क

3. डॉ. ए. चेल्लाकुमार

4. श्री पल्लब लोचन दास

5. श्री चौधरी मोहन जटुआ

6. चौधरी महबूब अली कैसर

7. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे

8. श्री भरत राम मारगनी

9. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल

10. श्रीमती अपरूपा पोद्दार

11. श्री टी.एन. प्रथापन

12. श्री सेल्लापेरुमल रामलिंगम

13. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका

14. श्री देवेन्द्रप्पा वाई.

15. श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1. श्री विनय कुमार मोहन - संयुक्त सचिव
2. श्री नवल के. वर्मा - निदेशक
3. श्री उत्तम चंद भारद्वाज - अपर निदेशक

प्राक्कथन

मैं, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23) का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर, शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब से संबंधित समिति का यह एक सौ अट्ठारवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के 08 मार्च, 1976 को सभा में प्रस्तुत किए गए पहले प्रतिवेदन (5वीं लोक सभा) और समिति के 12 मई, 1976 को प्रस्तुत किए गए दूसरे प्रतिवेदन (5वीं लोक सभा) तथा समिति के 22 दिसम्बर, 1977 को प्रस्तुत किए गए दूसरे प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) में की सिफ़ारिशों के संदर्भ में, सभी सांविधिक/स्वायत्त, संस्थानों, कंपनियों, सरकारी उपक्रमों, निगमों, संयुक्त उद्यमों, सोसाइटियों, आदि के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ माह के भीतर अर्थात 31 दिसंबर तक सभा पटल पर रखा जाना आवश्यक है।

3. समिति द्वारा की गई संवीक्षा से पता चला कि राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016, 2016-2017 और 2018-2019 से 2020-21 के लिए अपेक्षित दस्तावेज लगातार विलंब के साथ लोकसभा में प्रस्तुत किए गए थे। समिति ने राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के मामले पर विचार किया और 13 दिसंबर, 2021 को हुई अपनी बैठक में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया।

4. समिति ने 29.03.2023 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

5. समिति, राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली तथा भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) के अधिकारियों को समिति के समक्ष लिखित उत्तर और अन्य सामग्री/जानकारी प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देती है।

6. समिति से संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा दी गई बहुमूल्य सहायता के लिए समिति उनकी सराहना करती है।

7. समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के अंत में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली
29 मार्च 2023
चैत्र 8, 1945 (शक)

श्री गिरीश चन्द्र
सभापति
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति
लोक सभा

<u>सभापटल पर रखे गए पत्रों से संबंधी समिति</u>

<u>प्रतिवेदन</u>

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब

****

राष्ट्रीय बाल भवन (एनबीबी), नई दिल्ली स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है। इसकी स्थापना अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कला और शिल्प, संगीत, नृत्य, सिलाई, हस्तशिल्प, बुनाई, क्ले मॉडलिंग, विज्ञान, संग्रहालय, साक्षरता, गृह प्रबंधन गतिविधियों और शारीरिक शिक्षा आदि जैसी विभिन्न गतिविधियों में प्रशिक्षण प्रदान करके 5 से 16 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की रचनात्मक क्षमता और कौशल को बढ़ाने और पोषित करने के लिए की गई थी। राष्ट्रीय बाल भवन देश का प्रमुख 'बाल संस्थान' है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के लिए बच्चों को एनबीबी की सदस्यता प्रदान की जा रही है।

2. जिस अधिनियम, नियम या विनियमन जिसके अंतर्गत इन संगठनों के दस्तावेज सभा पटल पर रखे जा रहे हैं, उनके संबंध में पूछे जाने पर शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग), ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"एनबीबी के ज्ञापन, नियम, विनियम और उप-नियमों में, राष्ट्रीय बाल भवन के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को संसद के सभा पटल पर रखने के लिए कोई नियम/प्रावधान नहीं है।

तथापि, शिक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार कागजात (राष्ट्रीय बाल भवन के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं) को संसद के सदनों के सभा पटल पर रखने के लिए शिक्षा मंत्रालय को प्रस्तुत किया जा रहा है।"

3. समिति ने मंत्रालय से एनबीबी के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को सदन के सभा पटल पर रखने हेतु प्रावधान और समय के बारे में भी बताने के लिए कहा। शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग), ने अपने लिखित उत्तर में बताया है कि:-

"उक्त अधिनियम में उन पत्रों को सभा पटल पर रखने के प्रावधान और समय का उल्लेख एनबीबी के ज्ञापन, नियम, विनियम और उप-नियमों में नहीं किया गया है।"

इस संबंध में समिति दुसरे प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) के पैरा 1.14 की ओर एमओई का ध्यान आकर्षित करना चाहती है जिसमें कहा गया है कि-

"'समिति ने यह भी सिफारिश की है कि जहाँ आवश्यक हो, सरकार ऐसे संगठनों की प्रासंगिक संविधियों/नियमों विनियमों में संशोधन करने की व्यवहार्यता पर विचार करे, ताकि संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के लिए यह अनिवार्य हो कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत ऐसे संगठनों के वार्षिक प्रतिवेदनों/और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ महीने के भीतर संसद के पटल पर रखें, ताकि संसद को उनकी गतिविधियों से अवगत कराया जा सके।"'

4. एनबीबी पूरी तरह से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) - एमओई (डीओएसई एंड एल) एनबीबी को वार्षिक आधार पर सहायता अनुदान प्रदान करता है। 2015-2016 से 2019-2020 तक एनबीबी को प्रदान किया गया वर्ष-वार अनुदान **परिशिष्ट-एक** में दिया गया है।

5. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के 08 मार्च, 1976 को सभा में प्रस्तुत पहले प्रतिवेदन (छठी लोक सभा); 12 मई, 1976 को सभा में प्रस्तुत दूसरे प्रतिवेदन (5वीं लोक सभा) और 22 दिसम्बर, 1977 को सभा में प्रस्तुत किए गए दूसरे प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के अनुसरण में संगठनों/निगमों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ माह के भीतर सभा पटल पर रखना अपेक्षित है। इस अपेक्षा का अनुपालन करने के लिए, वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखाओं के संकलन और उनकी लेखा परीक्षा के लिए एक उचित समय-सारणी निर्धारित की जानी चाहिए। समिति ने महसूस किया कि आम तौर पर वार्षिक लेखाओं के संकलन और उन्हें लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने के लिए तीन महीने की अवधि पर्याप्त होगी; अगले छह महीने लेखाओं की लेखा परीक्षा, प्रतिवेदन की छपाई और इसे सभा पटल पर रखने के लिए सरकार को भेजने के लिए दिए जा सकते हैं। यदि किसी कारणवश, संगठनों/निगमों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभापटल पर नहीं रखा जा सका, तो संबंधित मंत्रालय को उपर्युक्त अवधि की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर अथवा सभा की बैठक होते ही, जो भी बाद में हो, एक विवरण

सभा पटल पर रखना चाहिए जिसमें उन कारणों को स्पष्ट किया जाए कि दस्तावेज क्यों नहीं रखे जा सके।

6. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति, लोक सभा ने राष्ट्रीय बाल भवन के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं की संवीक्षा की, जिन्हें शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) द्वारा संसद (लोक सभा) के सभापटल पर रखा गया था। इन पत्रों की जांच से पता चला कि वर्ष 2015-2016 के लिए एनबीबी के अपेक्षित दस्तावेज 03 महीने और 10 दिन से अधिक के विलंब से दिनांक 10.04.2017 को सभापटल पर रखे गए थे; वर्ष 2018-2019 के अपेक्षित दस्तावेज दिनांक 08.02.2021 को 13 महीने 8 दिन के विलंब से; वर्ष 2019-2020 हेतु ,11 महीने 20 दिन के विलंब से और वर्ष 2020-2021 हेतु दस्तावेज 04.04.2022 को 03 महीने 04 दिन के विलंब से सभा पटल पर रखे थे। राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदन/लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की वास्तविक तिथियों के साथ-साथ विलंब की सीमा को दर्शाने वाला विवरण **परिशिष्ट-दो** में दिया गया है।

7. 2015-2016 से 2020-2021 तक के वर्षों के लिए एनबीबी के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप देने के संबंध में एमओई (डीओएसई एंड एल) द्वारा प्रस्तुत कालानुक्रम **परिशिष्ट-तीन** में दिया गया है।

8. समिति ने वर्ष 2015-16, 2018-19 और 2019-20 के लिए एनबीबी के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के कारणों को जानने की इच्छा जताई। एमओई (डीओएसई एंड एल) ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया:-

"विलंब विवरण के अनुसार वित्त वर्ष 2015-16 के लिए वार्षिक लेखाओं में देरी का कारण

वित्त वर्ष 2015-16 की वार्षिक रिपोर्ट समय पर तैयार हो गई थी, लेकिन वित्त वर्ष 2015-16 के लेखा परीक्षित लेखे डीजीए (सीई) के कार्यालय से वार्षिक लेखाओं पर पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट (एसएआर) प्राप्त न होने के कारण तैयार नहीं हुए। एनबीबी को 13.01.2017 को एसएआर का प्रारूप प्राप्त हुआ है और प्रारूप एसएआर पर जवाब 16.01.2017 को डीजीए (सीई) को प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद, एनबीबी ने 02.02.2017 को डीजीए (सीई) से अंतिम एसएआर के साथ लेखा परीक्षित लेखाओं को प्राप्त किया।

<u>विलंब विवरण के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक लेखाओं में देरी का कारण</u>

..... एनबीबी के पास कोई अध्यक्ष और बीओएम नहीं था, इसलिए, वित्त वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक लेखाओं और वार्षिक प्रतिवेदन को वित्त समिति और प्रबंधन बोर्ड द्वारा अनुमोदित नहीं किए जाने के कारण देरी हुई। विलंब मुख्य रूप से एनबीबी के नियंत्रण में नहीं था और यह अनुरोध किया जाता है कि इसे माफ किया जाए। इसलिए, ये पत्र अब लोक सभा में प्रस्तुत किये गए हैं और राज्य सभा के सभा पटल पर रख दिए गए हैं।

<u>वित्त वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक लेखाओं में देरी का कारण</u>

राष्ट्रीय बाल भवन के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं को तैयार करने एवं लेखा परीक्षा में विलम्ब कोविड-19 के कारण लॉकडाउन और वर्ष 2019-2020 के लिए एनबीबी के वार्षिक लेखाओं की तैयारी और लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ नियुक्त किए जाने वाले चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की अनुपलब्धता के कारण था। संपरीक्षित लेखे लेखापरीक्षक रिपोर्ट के साथ दिनांक 20.11.2020 को चार्टर्ड एकाउंटेंट्स से प्राप्त हुए थे।एनबीबी की वित्त समिति द्वारा 11.02.2021 को वार्षिक लेखाओं को मंजूरी दी गई थी, और बोर्ड प्रबंधन ने 18.02.2021 को आयोजित 209वीं बैठक में इसे मंजूरी दी थी।विधिवत अनुमोदित लेखे दिनांक 20.02.2021 को महानिदेशक लेखापरीक्षा (डीजीए) के कार्यालय को अग्रेषित किए गए थे। प्रारूप लेखापरीक्षा रिपोर्ट 22.04.2021 को प्राप्त हुई और एनबीबी ने 22.05.2021 को डीजीए को जवाब भेजा। अंतिम पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट(एसएआर) 14.06.2021 को प्राप्त हो गई है। दिनांक 15.07.2021 को वित्त समिति की बैठक आयोजित करने के लिए नोट प्रस्तुत किया गया था जो 22.09.2021 को आयोजित की गई। एनबीबी के बोर्ड की बैठक 21.10.2021 को आयोजित की गई थी। ”

9. यह पूछे जाने पर कि क्या दस्तावेजों को रखने में हुए विलंब से संकेत मिलता है कि दस्तावेजों को समय पर संसद के सभापटल पर रखने को उचित महत्व नहीं दिया गया और इन्हें बड़े ही सामान्य ढंग से लिया गया, एमओई (डीओएसई एंड एल) ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया:-

“’मंत्रालय ने एनबीबी के साथ समन्वय से पहले की कमियों को दूर किया था और वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए निर्धारित समय में वार्षिक लेखा सभा पटल रखा था।

"वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रबंधन बोर्ड के न होने के कारण एनबीबी के वार्षिक लेखों को प्रस्तुत करने में देरी हुई और वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 में देशव्यापी लॉकडाउन और कोविड-19 महामारी की विद्यमान स्थिति के कारण इसमें देरी हुई।""

10. समिति द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) और राष्ट्रीय बाल भवन ने उन चरणों की पहचान की है जिनमें इन सभी वर्षों के दौरान देरी हुई है और यदि हां, तो मंत्रालय का इसे कम करने के लिए क्या प्रस्ताव है, शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग), ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:-

"वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रबंधन बोर्ड के न होने के कारण एनबीबी के वार्षिक लेखों को जमा करने में देरी हुई और वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 में देशव्यापी तालाबंदी और कोविड-19 के कारण प्रचलित महामारी की स्थिति के कारण इसमें देरी हुई। भविष्य में ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए एनबीबी में ई-ऑफिस और ऑफिस रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया चल रही है।"

11. समिति ने शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) से पूछा कि लेखाओं के लेखा परीक्षा और अंततः लेखा परीक्षा प्राधिकारियों से अंतिम लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के समय पर प्राप्ति के मुद्दे को शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) द्वारा कैसे निपटाया गया। शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत प्रस्तुत किया:-

"वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रबंधन बोर्ड के न होने के कारण एनबीबी के वार्षिक लेखों को जमा करने में देरी हुई और वितीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 में कोविड-19 के कारण इसमें देरी हुई।"

12. समिति ने मंत्रालय से पूछा कि क्या उन्हें संगठन के दस्तावेजों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की बैठक बुलाने से जुड़ी किसी प्रक्रियागत कठिनाई का सामना करना पड़ा है। शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) ने निम्नवत बताया:-

"निदेशक, एनबीबी संगठन के प्रमुख होने के साथ-साथ राष्ट्रीय बाल भवन के सक्षम प्राधिकारी भी हैं। दिसंबर 2015 से, एनबीबी का कोई नियमित निदेशक नहीं है। राष्ट्रीय बाल भवन के कार्य प्रबंधन के लिए, शिक्षा मंत्रालय ने समय-समय पर अपने वरिष्ठ

अधिकारियों को एनबीबी के निदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार दिया है। एनबीबी के नियमित निदेशक की अनुपलब्धता के कारण, प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को समय पर पूरा करने में कई कठिनाइयाँ हैं।

एनबीबी के निदेशक पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने के लिए साक्षात्कार 22.10.2020 को आयोजित किए गए थे। चयन समिति ने योग्यतानुसार तीन उम्मीदवारों का चयन किया था। योग्यता सूची में प्रथम उम्मीदवार को पद की पेशकश की गई थी; उन्होंने जून, 2021 में पद ग्रहण करने से मना कर दिया था। तब से यह मामला अभी भी विचाराधीन है कि योग्यता सूची में शामिल दूसरे उम्मीदवार को नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जाए।"

13. इसके पश्चात समिति ने मंत्रालय से पूछा कि क्या मंत्रालय में इस संबंध में काम की प्रगति की निगरानी करने और एनबीबी के दस्तावेजों को समय पर प्रस्तुत करने को सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र है। शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत प्रस्तुत किया:-

"वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप देने और संसद के दोनों सदनों में समय पर प्रस्तुत करने के लिए मंत्रालय नियमित अंतराल में एनबीबी को स्मरण कराता है। मंत्रालय भविष्य में एनबीबी के वार्षिक खातों को दोनों सदनों में समय पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करेगा।"

14. समिति ने मंत्रालय को लेखा वर्ष की समाप्ति से नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर संसद के समक्ष दस्तावेजों को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) और एनबीबी द्वारा किए जाने वाले उपचारात्मक उपायों पर एक नोट प्रस्तुत करने के लिए कहा। शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत प्रस्तुत किया:-

"2018-19 में प्रबंधन बोर्ड के न होने के कारण एनबीबी के वार्षिक लेखाओं को प्रस्तुत करने में देरी हुई। कोविड़-19 के कारण वर्ष 2019-20 और 2020-21 में देरी हुई।

भविष्य में, एनबीबी कार्य को निर्धारित समय पर पूरा करने के लिए सभी सुधारात्मक उपाय करेगा।"

15. समिति ने शिक्षा मंत्रालय से वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के लिए संगठन के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप देने के संबंध में नवीनतम स्थिति के बारे में पूछा और यह भी पूछा कि इन वर्षों के लिए वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखे सभा पटल पर जल्दी से जल्दी कब तक रखे जाने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत प्रस्तुत किया:-

"वार्षिक लेखे 2019-20

सीएजी ऑडिट पूरा हो चुका है। एक अलग ऑडिट रिपोर्ट (एसएआर) भी प्राप्त हुई है। वित्त समिति की बैठक और प्रबंधन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के वार्षिक लेखे संसद के दोनों सदनों में आगामी शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत किये जायेंगे।

वार्षिक रिपोर्ट 2019-20

कार्यक्रम अनुभाग द्वारा प्रतिवर्ष वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। कार्यक्रम अनुभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2019-20 का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार है।

वार्षिक लेखे 2020-21

एनबीबी का वार्षिक लेखा टैली आधारित है। कोविड-2019 के कारण अप्रैल 2021 के मध्य से टैली क्लर्क नहीं आ रहा था और 2 महीने से कार्यालय नहीं आया। टैली ऑपरेटर ने 03.07.2021 से आना बंद कर दिया। नया टैली ऑपरेटर सह क्लर्क 29.09.2021 को नियुक्त किया गया था। एनबीबी के साथ मंत्रालय समय पर लेखे को पूरा करने के लिए अपने स्तर पर हरसंभव प्रयास कर रहा है। टैली ऑपरेटर की नियुक्ति होने के बाद प्रासंगिक डाटा लेखा परीक्षा के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट को भेजे जाने की प्रक्रिया में है।

वार्षिक रिपोर्ट 2020-21

कार्यक्रम अनुभाग द्वारा प्रतिवर्ष वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। कार्यक्रम अनुभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जा रही है।"

16. नतीजतन, 2015-2016 से 2019-2020 के लिए एनबीबी के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों की जांच करने के लिए, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (लोकसभा) ने स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के प्रतिनिधियों को 13.12.2021 को मौखिक साक्ष्य के लिए समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए बुलाया।

17. मौखिक साक्ष्य के दौरान मंत्रालय के प्रतिनिधि ने निम्नवत बताया:-

"... कुछ ऐसा जो हम कभी नहीं चाहते थे लेकिन कुछ ऐसा जो अध्यक्ष के पद को भरने में कुछ व्यवधान के कारण हुआ। महोदय, मुझे यह बताना है कि राष्ट्रीय बाल भवन के अध्यक्ष का पद 1 जनवरी, 2019 को खाली हो गया था और उसके बाद अध्यक्ष को पद नामित किया गया था और उन्हें सितंबर, 2019 में अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। इसलिए, उसके कारण, ऑडिट और भी कार्य कुछ थोड़ी देरी से पूरे हुए, लेकिन इसके कारण संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलंब हुआ। उसके एक साल बाद, वास्तव में, कोविड व्यवधानों के परिणामस्वरूप देरी हुई। इसके अलावा, महोदय, गणपूर्ति से संबंधित मुद्दे थे। चूंकि कोई अध्यक्ष नहीं था और कोई नियमित उपाध्यक्ष नहीं था, इसके लिए आवश्यक न्यूनतम गणपूर्ति को पूरा नहीं किया जा सका। इस बीच, हमें एक नियमित उपाध्यक्ष मिला है, जो अगले पांच वर्षों के लिए है। इसलिए, हम यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहे हैं कि अगले साल से हम समय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकें।"

टिप्पणियां / सिफारिशें

18. समिति नोट करती है कि शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) और राष्ट्रीय बाल भवन (एनबीबी), नई दिल्ली ने वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने के संबंध में इसकी क्रमश: 08-03-1976, 12-05-1976 और 22-12-1977 को सभा में प्रस्तुत पहले प्रतिवेदन (5वीं लोक सभा) के पैरा 116 और 35, दूसरे प्रतिवेदन (5वीं लोक सभा) के पैरा 416 और 418 तथा दुसरे प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) के पैरा 112 और 26 से 38 में अंतर्विष्ट सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की सिफारिशों में निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं किया है। लेखा वर्ष की समाप्ति से नौ माह के भीतर पत्रों को सभा पटल पर रखने की अनिवार्यता का अनुपालन नहीं किया गया है। वर्ष 2015-16 के लिए एनबीबी के अपेक्षित दस्तावेज 10.04.2017 को 03 महीने 10 दिनों के विलम्ब से रखे गए थे; वर्ष 2018-2019 के लिए 08.02.2021 को 13 महीने 08 दिनों के विलम्ब से; वर्ष 2019-2020 के लिए 20.12.2021 को 11 महीने 20 दिनों के विलम्ब से और वर्ष 2020-2021 के लिए 04.04.2022 को 03 महीने 04 दिनों के विलम्ब से रखे गए थे।

19. समिति यह भी नोट करती है कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम XXI 1860 और उनके ज्ञापन, नियमों, विनियमों और एनबीबी के उप-नियमों में भी एनबीबी के दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने का कोई उपबंध नहीं है, तथापि, राष्ट्रीय बाल भवन के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित खाते शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) को प्रस्तुत किए जा रहे हैं ताकि उन्हें एमओई (डीओएसई एंड एल) के निदेशों के अनुसार संसद के सभा पटलों पर रखा जा सके। इसलिए समिति दृढ़ता से सिफारिश करती है कि विश्वविद्यालय की भांति, एनबीबी के नियमों/विनियमों, ज्ञापनों और उप-नियमों में भी संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति से नौ महीने के भीतर, वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने का प्रावधान शामिल किया जाए।

20. एनबीबी के दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में विलंब के कारणों की जांच करते हुए समिति ने नोट किया कि प्रबंधन बोर्ड के अस्तित्व में नहीं होने और नियमित चेयरमैन/वाईस-चेयरमैन की अनुपलब्धता के कारण विलंब हुआ। एनबीबी के इन दस्तावेजों की मंजूरी प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक न्यूनतम कोरम वित्तीय वर्ष 2018-2019 के

लिए पूरा नहीं किया जा सका। निदेशक, एनबीबी संगठन का प्रमुख होने के नाते, राष्ट्रीय बाल भवन के एक सक्षम प्राधिकारी भी हैं, लेकिन दिसंबर 2015 के बाद से, एनबीबी का कोई नियमित निदेशक नहीं है, जिसमें 2018-2019 से लगातार विलम्ब हो रही है। हालांकि, वित्त वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के दस्तावेजों में कोविड-19 महामारी और उसके परिणामस्वरूप हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण विलम्ब हुआ। समिति नोट करती है कि मंत्रालय और एनबीबी निर्धारित समय के भीतर वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप देने में विफल रहे हैं।

21. समिति यह भी नोट करती है कि शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) एनबीबी के इन अपेक्षित दस्तावेजों को निर्धारित समय के भीतर संसद की दोनों सभाओं के पटल पर रखना सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित नहीं कर सका है, जो गंभीर चिंता का विषय है। समिति सिफारिश करती है कि भविष्य में इन दस्तावेजों को समय पर सभा पटल पर रखना सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा व्यापक और समग्र प्रयास किए जाने की आवश्यकता है और भविष्य में विलम्ब से बचने के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए उपायों के अनुपालन के बारे में समिति को सूचित किया जाए।

22. समिति मंत्रालय से यह भी आग्रह करती है कि यदि कुछ अपरिहार्य कारणों से एनबीबी के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखे निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर नहीं रखे जा सके, तो अपेक्षित दस्तावेजों को सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए एक विवरण 30 दिनों के भीतर या सभा की बैठक शुरू होते ही, जो भी बाद में हो, सभा पटल पर रखा जाना चाहिए।

नई दिल्ली
29 मार्च 2023
चैत्र 8, 1945 (शक)

श्री गिरीश चन्द्र
सभापति
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति
लोक सभा

परिशिष्ट- एक

प्रतिवेदन का पैरा 4 देखें

राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली को वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान वर्षवार प्रदत्त अनुदान

(रुपये लाख में)

वर्ष	**अनुदान**
2015-2016	1843.54
2016-2017	1575.54
2017-2018	1671.28
2018-2019	1875.16
2019-2020	1988.47

परिशिष्ट-दो

प्रतिवेदन का पैरा 6 देखें

बुलेटिन भाग-1 के अनुसार, राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 से 2020-21 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की तिथियों को दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	**वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखे जाने की अपेक्षित तिथि**	**वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की तिथि**	**विलंब की अवधि**
2015-16	31.12.2016	10.04.2017	03 माह 10 दिन
2016-17	31.12.2017	05.01.2018	05 दिन
2017-18	31.12.2018	27.12.2018	कोई विलंब नहीं हुआ
2018-19	31.12.2019	08.02.2021	13 माह 08 दिन
2019-20	31.12.2020	20.12.2021	11 माह 20 दिन
2020-21	31.12.2021	04.04.2022	03 माह 04 दिन

परिशिष्ट -तीन

प्रतिवेदन का पैरा 7 देखें

राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 से 2020-21 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने से संबंधित कालक्रमानुसार विवरण।

उप-प्रश्न	बिंदु	वित्त वर्ष					
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
7 (i)	लेखापरीक्षा प्राधिकारियों (सीएजी) से संपर्क करने की तिथि	16.08.2016	29.06.2017	21.6.2018	14.11.2019	20.2.2021	**
	लेखा वर्ष बंद होने के बाद लिया गया समय	4 माह 15 दिन	3माह	3 माह 20 दिन	7 माह 14 दिन	10 माह 20 दिन	**
7(ii)	सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति की तिथि	17.9.2014	17.9.2014	17.9.2014	19.3.2019	19.3.2019	19.3.2019
	लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए लेखा परीक्षा अधिकारियों	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	*	**

	से संपर्क करने के बाद लिया गया समय						
7(iii)	वार्षिक लेखाओं के संकलन की तिथि	30.06.2016	31.05.2017	31.5.2018	31.5.2019	30.9.2021	**
	लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद लिया गया समय	3 माह	2 माह	2 माह	2 माह	6 माह	**
7(iv)	लेखापरीक्षकों को वार्षिक लेखे प्रस्तुत करने की तिथि	16.08.2016	29.06.2017	21.6.2018	14.11.2019	20.2.2021	**
	संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद लिया गया समय	4 माह 15 दिन	3माह	3 माह 20 दिन	7 माह 14 दिन	10 माह 20 दिन	**
7(v)	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वार्षिक लेखाओं की लेखा परीक्षा	24.11.2016 से 02.12.2016	04.07.2017 से 08.07.2017	3.7.2018 से 7.7.2018	3.12.2019 से 7.12.2019	3.3.2021 से 9.3.2021	**

	तिथि और अवधि						
7(vi)	लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान/वार्षिक लेखा समाप्ति के बाद उठाए गए प्रश्नों की तिथि (प्रारूप एसएआर)	13.01.2017	26.7.2017	31.7.2018	18.1.2020	22.4.2021	**
	लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान/वार्षिक लेखाओं की समाप्ति के बाद लेखापरीक्षा प्राधिकारियों को प्रश्नों को उठाने में लिया गया समय	42 दिन	18 दिन	24 दिन	43 दिन	45 दिन	**
7(vii)	तारीख जिस पर लेखा	16.1.2017	11.8.2017	9.8.2018	23.1.2020	22.5.2021	**

	परीक्षकों को लेखा परीक्षा के प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत किए गए थे						
	प्रश्नों का समाधान करने में लिया गया समय	3 दिन	16 दिन	9 दिन	5 दिन	1 दिन	**
7(viii)	वह तारीख जिस पर लेखा परीक्षा प्राधिकारी द्वारा प्रारूप लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी की गई थी	13.01.2017	26.7.2017	31.7.2018	18.1.2020	22.4.2021	**
	वार्षिक लेखाओं की लेखा परीक्षा के बाद लिया गया समय	42 दिन	18 दिन	24 दिन	43 दिन	45 दिन	**
7(ix)	वह तारीख जिस पर	02.02.2017	21.8.2017	23.8.2018	29.1.2020	14.6.2021	**

	संगठन को अंतिम लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त हुई						
	प्रारूप प्रतिवेदन जारी होने के बाद लिया गया समय	20 दिन	26 दिन	23 दिन	11 दिन	53 दिन	**
7(x)	संगठन को अंतिम लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए वार्षिक लेखा प्राप्त करने के बाद लेखा परीक्षा प्राधिकारियों द्वारा लिया गया कुल समय	5 माह 17 दिन	52 दिन	62 दिन	75 दिन	113 दिन	**
7(xi)	वार्षिक प्रतिवेदन को अंतिम रूप	03.08.2016		12.6.2018	6.11.2019	--	**

	देने की तिथि						
	वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद लिया गया समय; और	4 माह 2 दिन	--	2 माह 11 दिन	7 माह 5 दिन	--	**
	अंतिम लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद लिया गया समय	5 माह 29 दिन	--	2 माह 1 दिन	2 माह 24 दिन	--	**
7(xii)	दस्तावेजों को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित किए जाने की तारीख	17.02.2017	04.09.2017	20.9.2018	16.3.2020		**
	वार्षिक प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने के बाद लिया गया समय	6 माह 13 दिन	--	3 माह 10 दिन	4 माह 10 दिन	--	**
	अंतिम लेखापरीक्षा	15 दिन	13 दिन	27 दिन	46 दिन	--	**

	प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद लिया गया समय						
7(xiii)	दस्तावेज़ों को अनुवाद और मुद्रण के लिए दिए जाने की तारीख	17.02.2017	18.10.2017	31.10.2018	18.3.2020		**
	प्रत्येक चरण पर कार्य पूरा करने में लिया गया समय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	--	**
7(xiv)	प्रत्येक चरण में कार्य पूरा होने के बाद सदन में रखे जाने के लिए दस्तावेजों को मंत्रालय को भेजने की तिथि	23.02.2017	13.11.2017	22.11.2018	10.7.2020	8	**
	मंत्रालय को दस्तावेज भेजने में	6 दिन	26 दिन	22 दिन	3 माह 22 दिन	--	**

	संगठनों द्वारा लिया गया समय						
7(xv)	सदन में दस्तावेज रखने की तिथि।	10.04.2017	--	27.12.2018	8.2.2021		**
	संगठन से दस्तावेज प्राप्त होने के बाद लिया गया समय	1 माह 15 दिन	--	1 माह 5 दिन	6 माह 28 दिन	--	**

* 2019-20 के लिए वार्षिक लेखाओं और वार्षिक प्रतिवेदन को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसके लिए एनबीबी के प्रबंधन बोर्ड के अनुमोदन की आवश्यकता है। कोविड -19 महामारी की स्थिति के कारण 2019-20 और 2020-21 के लिए वार्षिक लेखाओं और वार्षिक प्रतिवेदन को तैयार करने की प्रक्रिया में विलंब हुआ है।

** 2020-21 के लिए वार्षिक लेखाओं और वार्षिक प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।

*****

परिशिष्ट-चार

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-2022) की बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण

समिति की बैठक सोमवार, 13 दिसंबर, 2021 को 15:00 बजे से 16:30 बजे तक समिति कक्ष 'सी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री रितेश पाण्डेय - सभापति

सदस्य

2. श्री पल्लब लोचन दास
3. चौधरी महबूब अली कैसर
4. श्री राजा अमरेश्वर नाईक
5. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका

सचिवालय

1. श्रीमती सुमन अरोड़ा - संयुक्त सचिव
2. श्री मुनीश कुमार रेवाड़ी - अपर निदेशक
3. श्रीमती मनजिंदर पब्बी - अवर सचिव

शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) और राष्ट्रीय बाल भवन (एनबीबी), नई दिल्ली के प्रतिनिधि

1. श्री संतोष सारंगी - अपर सचिव (एसई एंड एल)

2. श्री आर.सी. मीणा - संयुक्त सचिव (एसई एंड एल)

3. सुश्री दीपा आनंद - निदेशक (अतिरिक्त प्रभार, एनबीबी)

4. श्री मुकेश गुप्ता - उप-निदेशक, एनबीबी

XX XX XX XX

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया।

3. से 5. XX XX XX XX

6. तत्पश्चात, समिति ने शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) और राष्ट्रीय बाल भवन (एनबीबी), नई दिल्ली के प्रतिनिधियों को अंदर बुलाया।

7. सभापति ने समिति की बैठक में मंत्रालय और एनबीबी के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और बैठक बुलाने के प्रयोजन के बारे में बताया। सभापति ने कार्यवाहियों की गोपनीयता के संबंध में लोक सभा अध्यक्ष के निदेश के निदेश 58 के प्रावधानों के बारे में भी साक्षियों को बताया।

8. सर्वप्रथम सभापति ने दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हो रहे निरंतर विलंब के संबंध में मंत्रालय/एनबीबी के प्रतिनिधियों को अवगत कराया और शिक्षा मंत्रालय/एनबीबी से संसद के समक्ष अपने आवश्यक दस्तावेजों को रखने में विलंब के कारणों के बारे में पूछा गया है। मंत्रालय के प्रतिनिधि ने समिति को बताया कि चेयरमैन के पद को भरने में कुछ व्यवधान के कारण विलंब हुआ और राष्ट्रीय बाल भवन के चेयरमैन का पद 1 जनवरी, 2019 को रिक्त हो गया और उसके बाद के चेयरमैन को नामित किया गया जो सितंबर, 2019 से अतिरिक्त प्रभार में थे। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि यद्यपि लेखापरीक्षा और उससे संबंधित सभी कार्यों को मामूली विलंब से पूरा किया गया था, लेकिन इसके कारण प्रतिवेदन को संसद में प्रस्तुत करने में विलंब हुआ और उसके एक वर्ष बाद, वास्तव में, कोविड संबंधी व्यवधानों के परिणामस्वरूप विलंब हुआ। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि गणपूर्ति से संबंधित मुद्दे थे और चूंकि कोई चेयरमैन नहीं था और कोई नियमित वाईस-चेयरमैन नहीं था, इसके लिए आवश्यक न्यूनतम गणपूर्ति पूरी नहीं की जा सकी। प्रतिनिधि ने यह भी बताया कि उन्हें एक नियमित

वाईस-चेयरमैन मिला है, जो अगले पांच वर्षों के लिए है और वे यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहे हैं कि अगले वर्ष से वे समय पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकें ।

9. तत्पश्चात, माननीय सभापति ने विषय की जांच के संबंध में उपयोगी चर्चा के लिए मंत्रालय और एनबीबी के प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया।

10. से 13. XX XX XX XX

तत्पश्चात, साक्षी साक्ष्य देकर चले गए।

समिति की बैठक की शब्दशः कार्यवाही की एक प्रति रिकॉर्ड में रखी गयी है।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

<u>परिशिष्ट- पांच</u>

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-2023) की 29.03.2023 को हुई चौथी बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण।

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23)

समिति की बैठक गुरुवार, 29 मार्च, 2023 को 15:00 बजे से 16:00 बजे तक समिति कमरा सं. 'ग ', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री गिरीश चन्द्र - ***सभापति***

सदस्य

(लोक सभा)

2. श्री शफीकुर्रहमान बर्क
3. श्री चौधरी मोहन जटुआ
4. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
5. श्री टी.एन. प्रथापन

सचिवालय

1.	श्री विनय कुमार मोहन	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री नवल के. वर्मा	-	निदेशक
3.	श्री उत्तम चंद भारद्वाज	-	अपर निदेशक

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति के सदस्यों का बैठक में स्वागत किया और उन्हें कार्यसूची से अवगत कराया।

3. तत्पश्चात, समिति ने निम्नलिखित 6 प्रारूप प्रतिवेदनों और 6 कीगई कार्रवाई- प्रतिवेदनों पर विचार करने और स्वीकार करने के लिए लिया - :

1. राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब;
2. x x x x x;
3. x x x x x;
4. x x x x x;
5. x x x x x;
6. x x x x x;
7. x x x x x
8. x x x x x
9. x x x x x
10. x x x x x
11. x x x x x
12. x x x x x

समिति द्वारा 6 प्रारूप प्रतिवेदनों और 6 की-गई कार्रवाई प्रतिवेदनों पर विचार किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। सभापति को समिति द्वारा इन प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और लोक सभा में प्रस्तुत करने के लिए प्रधिकृत किया गया ।

xx xx xx xx

(बैठक की शब्दशः कार्यवाही की एक प्रति रखी जाती है।)

इसके बाद समिति स्थगित हो गई।

****